राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 मे उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्वांतों की पूर्ति का महत्वपूर्ण उपाय है, नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्वावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अनार्जित अभाव के अन्य मामलों में आर्थिक क्षमता और विकास के अनुरूप सार्वजनिक सहायता प्रदान करना ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के घटक -

एनएसएपी मे पॉच योजनाऐं शामिल है -

1- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बृद्वावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)** - 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूष अथवा महिला जो बीपीएल परिवार से है, उनहे 200 रू. प्रतिमाह तथा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु होने पर 500 रू. आर्थिक सहायता दी जाती है।

2- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)** - योजनांतर्गत 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु की विधवा महिलाऐं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही उनहे प्रतिमाह 300 रू. तथा 80 वर्ष आयु हो जाने पर 500 रू. प्रतिमाह सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है।

3- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस**) - 18 से 79 वर्ष के आवेदक जो कि निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम 1995 तथा ऑटिज्म, पक्षाघात, मंदबुद्वि और विविध विकलांगताओ से ग्रस्त व्यक्तियो के लिए प्रतिमाह 300 रू. तथा आयु 80 वर्ष हो जाने पर 500 रू. की राशि आर्थिक सहायता के रूप मे प्रदान की जाती है।

4- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)** - योजनांतर्गत बीपीएल परिवार के मुखय जीविकोपार्जक के मुत्यु हो जाने पर शोकसंतप्त परिवार को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 20000 रू. की एक मुस्तराशि के रूप मे केन्द्रीय सहायता दी जाती है ऐसे मुखय जीविकोपार्जक के मुत्यु के समय आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए।

5- **अन्नपूर्णा योजना** -योजनांतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो पात्र होने पर भी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाये हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान निःशुल्क दिये जाते है।